

## फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी चाकू

देकाज बनाम राजचन्द  
संख्या / वर्ष : 92 / 2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
8/4/24	<p>कडेगा तो जार्जिंग को अप्रखीय क्षति कर्मित होने की अप्रखीय क्षति पूर्ण लक्षावना है।</p> <p style="text-align: center;">अतः जार्जिंग - पक्ष जार्जिंग को लीकर किया जाकर अप्रखीय को लक्षित लक्षावद जार्जिंग की सुविधा अ.न. 5860, 5861, 5862, 5863, 5866, 5867, 5868, 5869, 5870 ग्राम कोरखाना पर इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा ले जाकर किया जाता है कि जार्जिंग की सुविधा पर लक्षित क्षति न करे, कोई निरक्षण न करे।</p> <p style="text-align: center;">पक्षवली जैसल शमार दोकर दर्ज नम्बर लेख ले।</p> <p style="text-align: right;">(21) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकू (अजमेर)</p>	